-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 10.09.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **गनर सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी के साथ वाद-विवाद एवं धक्का/मुक्की कर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने वाले अभियुक्त को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 10.09.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा गनर सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी के साथ वाद-विवाद एवं धक्का मुक्की कर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि दिनांक 09.09.2026 की शाम को अभियुक्त अभिषेक उर्फ अभि द्वारा थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के कालूकुआं चौराहे के पास गनर सुरक्षा में लगे आरक्षी संदेश शर्मा के साथ गाड़ी हटाने की बात को लेकर वाद-विवाद एवं धक्का मुक्की कर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाया गया था जिसके सम्बन्ध में उक्त आरक्षी की तहरीर पर थाना कोतवाली नगर में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 10.09.2026 को अभियुक्त को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर नियमानुसार मा0 न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अभिषेक उर्फ अभि पुत्र मायाराम निवसी खुरहण्ड थाना गिरवां जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

➢ मु0अ0सं0- 453/26 धारा 126(2)/121(1)/115(2)/352 बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. श्री आकाश शुक्ला चौकी प्रभारी मण्डी समिति
2. कां0 सौरभ कुमार